

4

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

॥ कार्यालय आदेश ॥

संचिका सं०-03/AMRUT-03-01/2016 2/2

दिनांक-26/5/16

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत केन्द्रांश की प्रथम किस्त की राशि ₹6642.00 लाख (छियासठ करोड़ बयालीस लाख रू० मात्र) स्तम्भ-02 में अंकित नगर निकायों के नाम के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि वर्ष 2015-16 में स्वीकृत जलापूर्ति योजना एवं पार्क विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त किया जा रहा है :-

(राशि लाख रू० में)

क्र. सं.	नगर निकायों का नाम	जलापूर्ति योजना की स्वीकृत राशि	पार्क विकास योजना की स्वीकृत राशि	जलापूर्ति योजना के प्रथम किस्त केन्द्रांश की स्वीकृत राशि	पार्क विकास के लिए प्रथम किस्त केन्द्रांश की स्वीकृत राशि	प्रथम किस्त केन्द्रांश की विमुक्ति हेतु स्वीकृत कुल राशि (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	हाजीपुर	4110.00	50.00	411.00	5.00	416.00
2	बक्सर	2932.00	50.00	293.20	5.00	298.20
3	बेगूसराय	6910.00	50.00	691.00	5.00	696.00
4	मुंगेर	5931.00	100.00	593.10	10.00	603.10
5	आरा	7453.00	50.00	745.30	5.00	750.30
6	बिहारशरीफ	7474.00	50.00	747.40	5.00	752.40
7	दरभंगा	4985.00	50.00	498.50	5.00	503.50
8	छपरा	5618.00	100.00	561.80	10.00	571.80
9	जहानाबाद	2942.00	50.00	294.20	5.00	299.20
10	बगहा	3211.00	50.00	321.10	5.00	326.10
11	मोतिहारी	3496.00	50.00	349.60	5.00	354.60
12	सिवान	3730.00	50.00	373.00	5.00	378.00
13	औरंगाबाद	2915.00	50.00	291.50	5.00	296.50
14	किशनगंज	3027.00	50.00	302.70	5.00	307.70
15	सासाराम	-	50.00	-	5.00	5.00
16	कटिहार	-	100.00	-	10.00	10.00
17	पूर्णिया	-	100.00	-	10.00	10.00
18	डेहरी डालमियानगर	-	50.00	-	5.00	5.00
19	बेतिया	-	50.00	-	5.00	5.00
20	जमालपुर	-	50.00	-	5.00	5.00
21	सहरसा	-	50.00	-	5.00	5.00
22	भागलपुर	-	100.00	-	10.00	10.00
23	मुजफ्फरपुर	-	50.00	-	5.00	5.00
24	दानापुर निजामत	-	50.00	-	5.00	5.00
25	पटना	-	186.00	-	18.60	18.60
26	गया	-	50.00	-	5.00	5.00
	कुल	64734.00	1686.00	6473.40	168.60	6642.00

2. कुल स्वीकृत राशि ₹6642.00 लाख (छियासठ करोड़ बयालीस लाख रू० मात्र) स्तम्भ-02 में अंकित नगर निकाय के सम्मुख स्तम्भ-07 में अंकित राशि की विमुक्ति बुडा (BUDA) में रक्षित AMRUT योजना की राशि से RTGS के माध्यम से किया जायेगा।
3. उक्त विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (U.C.) एक मुस्त नगर निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर पुनः अगली किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।
4. AMRUT योजना के अधीन जलापूर्ति योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि जो विमुक्त की जा रही है, को योजना के कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मांग किये जाने पर शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक- 26/5/16

ज्ञापांक-03/AMRUT-03-01/2016 1007

प्रतिलिपि:-उप निदेशक, बुडा/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव-सह-निदेशक के निजी सहायक/लेखापाल, बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव-सह-निदेशक।